कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ
पत्रसंख्या सीएफओ–एनआरसी(टी) / 12 दिनांक जनवरी 2012
सेवा में

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

विषय– प्रस्तावित रेजीडेन्सियल बिल्डिंग मै0 गुरूजी फ्लोरी कल्चर प्रा0 लि0 श्री अवनीश कुमार गोयल व मै0 सोनिया मोटर्स फाईनेन्स प्रा0 लि0 .श्री उमेश गर्ग द्वारा ग्राम नूर नगर परगना व तहसील मेरठ के खसरा संख्या 49 पर ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु अग्निसुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षण आख्या ।

सन्दर्भ– आपका पत्र संख्या 1038 / 11 / मानचित्र –अनु0(जोन–ए) / 11 मानचित्र संख्या 1038 / 11 दिनांक 22.12.2011 जो प्राप्त दिनांक 3.1.2012

महोदय

कृपया उक्त स्थल पर भवन निर्माण हेतु आपके पूर्व पत्र सन दिनांक 14.7 2011 के अनुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या 45 / सीएफओ–एनओसी(टी) 11 दिनांक 14.9.2011 के द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया था को निरस्त करते हुये पुनः उक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संशोधित मानचित्र संख्या 1038 /11 के अनुसार अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाइन मेरठ द्वारा कराया गया तो दिनांक 4.1.2012 के अनुसार आख्या निम्न प्रकार है–

1 प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के सामने पर्याप्त चौडी सडक है जिस पर अग्निशमन के वाहन आसानी से आ–जा सकते है ।
2 प्रस्तावित भवन का कुल प्लाट एरिया 7368.58 वर्ग मीटर है जिसमे 1731वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण कराया जायेगा.जिसमें ब्लाक ए में बेसमेन्ट से सातवें तल तक एवं ब्लाक बी में बेसमेन्ट से तेरहवें तल तक निर्माण कराया जायेगा ब्लाक ए की ऊंचाई 23.30 एवं ब्लाक बी की ऊंचाई 41.10 मीटर प्रस्तावित है
3. बैसमेन्ट कवर्ड एरिया– ब्लाक ए में बैसमेन्ट का कवर्ड एरिया 1051वर्ग मीटर एवं ब्लाक बी में बैसमेन्ट कवर्ड एरिया 680वर्ग मीटर प्रस्तावित है ।
4 कवर्ड एरिया–

प्रस्तावित ब्लाक ए मे स्टिल्ट तल से सातवे तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया 1051 वर्ग मीटर तथा ममटी कवर्ड एरिया 48 वर्ग मीटर इस प्रकार कुल कवर्ड एरिया 7405 वर्ग मीटर एव ब्लाक बी में स्टिल्ट तल से दशवे तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया 680 वर्ग मीटर,ग्यारहवें तल से तेरहवें तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया 334 वर्ग मीटर एवं ममटी कवर्ड एरिया 24 वर्ग मीटर इस प्रकार कुल कवर्ड एरिया 7826 वर्ग मीटर प्रस्तावित है ।

4.स्टयर केस एवं लिफ्ट–

भवन के प्रत्येक ब्लाक में बैसमेन्ट से ऊपरी तलो तक जाने व

2

Pearl Infrasolutions Pvt. Ltd.
Director

ऊपरी तलो से नीचे तक आने हेतु दो–दो स्टेयर केश एवं दो–दो लिफ्ट का प्राविधान किया गया है किसी भी आपातस्थिति में लिफ्ट का प्रयोग न किया जाये इन लिफ्टो में से एक लिफ्ट को फायर मैन लिफ्ट के रूप में प्रयोग किया जाये ।

5.सैटबैक–

प्रस्तावित भवन के ब्लाक ए की ऊंचाई के अनुरूप 8 मीटर सैटबैक एव ब्लाक बी की ऊंचाई के अनुरूप 13 मीटर का होना आवश्यक है जिसमें से 06–06 मीटर सैटबैक मोटरेबिल का होना अनिवार्य होगा.इसमें किसी प्रकार का स्थायी / अस्थायी निर्माण न कराया जाये ।

5.जीव रक्षा सम्बन्धी सुझाव–

(1) भवन में एयर कन्डीशनर के प्रेशराईजेशन सिस्टम के लिये नेशनल बिल्डिग कोड आफ इण्डिया–2005 के पार्ट 4 के क्लॉज सी–1.17 में दिये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(2) भवन में लिफ्ट्‌ के प्रेशराईजेशन सिस्टम के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के पार्ट–4 के क्लॉज सी–1.5 में दिये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(3) भवन में विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 पार्ट–4 के क्लॉज सी–1.12 में दिये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(4) भवन में विद्युत ट्रान्सफार्मर सिस्टम के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005पार्ट 4 के क्लॉज सी–1.16 में दिये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(5) भवन में फायर एक्जिट व्यवस्था के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट–4के क्लॉज सी–1.14 में दिये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाये

(6) भवन में स्टेयर केस के प्रेशराईजेशन सिस्टम के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के पार्ट–4 के 4.10.6 व 4.10.7 में दिये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(7) भवन में अग्निशमन व्यवस्था के संचालन के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 पार्ट 4 क्लास सी –6 के अनुसार दक्ष फायर स्टाफ का होना आवश्यक है ।

(8) भवन में फायर कन्ट्रोल रूम की स्थापना के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 पार्ट 4 क्लास सी –5 में दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये

(9) भवन के बैसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम का प्राविधान कराया जाये तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया तथा–2005 के पार्ट 4 क्लाज सी मे 1.6 में दिये गये निर्देशो का पालन सुनिश्चत किया जाये ।

(10) भवन का निर्माण भूकम्प रोधी प्रणाली के अनुसार कराया जाये

एनबीसी 2005 के पार्ट–4 के ग्रुप ए रेजीडन्सियल बिल्डिंग में निहित अग्निशमन व्यवस्था के सुझाव–

1. भवन के ब्लाक ए में अग्निशमन कार्य के लिये 25000 पानी की क्षमता का टेरेस टैंक एवं इसके साथ ही 900 लीटर प्रति मिनट का टेरेस पम्प स्थापित किये

Pearl Infrasolutions Pvt. Ltd.

Director

जाये टैंक को जोडते हुये डाउनकमर का प्राविधान किया जाय इसके साथ ही प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार होजरील ,लैण्डिंग वाल्व होज केविनेट स्थापित किये जाये । ब्लाक बी में 75000 पानी की क्षमता का अण्डर ग्राउण्डवाटर स्टेटिक टैंक एवं 1620 लीटर प्रति मिनट का विद्युत चालित पम्प एवं इतनी ही क्षमता का एक डीजल पम्प तथा 180 लीटर प्रति मिनट का जोकी पम्प तथा 10000 लीटर क्षमता का टेरस टैंक स्थापित किये जाये दोनो टैंको को जोडते हुये बेटराईजर कम डाउनकमर का प्राविधान किया जाये, इसके साथ ही प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार होजरील ,लैण्डिंग वाल्व,होज,केविनेट स्थापित किये जाये ।

2. भवन के ब्लाक ए एवं बी के प्रत्येक तल पर मैनुअली आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान कराया जाये ।
3. भवन के ब्लाक ए एवं बी के प्रत्येक तल पर आवश्यतानुसार फायर एक्सटिंग्युशर्स का प्राविधान किया जाये
4. भवन के ब्लाक ए एवं बी के प्रत्येक ब्लाक के बैसमेन्ट में औटोमटिक स्पिंकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाये
5. भवन के ब्लाक ए एवं बी के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम का प्राविधान किया जाये ताकि किसी आपातस्थिति में भवन में आवासित लोगो को बाहर निकाला जा सके

भवन स्वामी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें दिये गये बिन्दुओं का वृहद जनहित को दृष्टिगत रखते हुये अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा जो निम्नवत है–

1– यह कि मैं शपथ पूर्व कथन करता हूँ कि मेरा नाम अवनीश कुमार गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द नि0 35/215 माधवपुरम मेरठ है तथा शपथ पत्र में दिये गये तथ्यो से पूर्णतया परिचित हूँ ।

2.यह कि समस्त भवन के बाहर छोडे गये सैट बैक को अवरुद्ध नही किया जायेगा

3. यह कि जनरेटर/ट्रान्सफार्मर को भवन के अन्दर नही रखा जायेगा ।

4. इलैक्ट्रिक स्विच गेयर अलग कमरे में रहेगा तथा प्रत्येक भवन के इलैक्ट्रिक सिस्टम को अलग–अलग जोन में बांटा जायेगा ।

5. यह कि घरेलू गैस (प्लान्ट) को बैसमेन्ट में न स्थापित कर अन्य सुरक्षित स्थान पर लगाया जायेगा एवं अग्निसुरक्षा हेतु अग्निशमन यन्त्रो का प्राविधान नियमानुसार किया जायेगा

6.यह कि वाटर हारवैस्टिंग सिस्टम नियमानुसार स्थापित किया जायेगा ।

7.यह कि समस्त रेजीडेन्सियल भवन में बाहरी व आन्तरिक सुरक्षा हेतु लगाये जाने वाले प्राथमिक अग्निशामक यन्त्रो को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा व उसके प्रयोग एवं संचालन हेतु अलग से स्टाफ रखा जायेगा ।

8.यह कि भवन में रिफयूज एरिया का प्राविधान किया जायेगा एवं उसका पालन किया जायेगा ।

9.नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्डिया 2005 के पार्ट –4 फायर एण्ड लाईफ सैफ्टी के टेबिल–23 के अनुरूप रेजीडेन्सियल बिल्डिंग के ग्रुप ए में निहित अग्निसुरक्षा की प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा ।

---4

Pearl Infrasolutions Pvt. Ltd.

Director

10. यह कि मैं शपथ पूर्ण कथन करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 12 तक का कथन मेरे निजी ज्ञान एंव विश्वास में सब सत्य है कोई भी बात झूठ या छिपाई नही गयी है ईश्वर मेरी मदद करें ।

उक्त भवन में अग्निशमन प्रणाली की स्थापना हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के पार्ट 3 व 4 तथा भवन निर्माण विकास उपविधि–2008 में दिये

गये दिशा निर्देशो का पालन किया जाये ,इसमें किसी प्रकार का डेवियेशन किया जाता है तो निर्गत पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाये ।

उक्त भवन निर्माण होने के साथ–साथ उपरोक्त सुझायी गयी अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओ को स्थापित कर भवन को उपभोग में लाने से पूर्व अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओ का अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निशमन का स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा ।

अतः उपरोक्त भवन निर्माण हेतु उक्त शर्तो के अधीन मानचित्र/ साईट प्लान का अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक अग्निसुरक्षा सम्बन्धी आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित है ।

संलग्नक मानचित्र

अग्निशमन अधिकारी
मेरठ

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मेरठ।

प्रतिलिपि:1. श्री अवनीश कुमार गोयल पुत्र श्री कैलाष चन्द नि0 35/215 माधवपुरम मेरठ उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ हेतु ।

2. अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाइन मेरठ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु

Pearl Infrasolutions Pvt. Ltd.

Director